दमोह : फर्जी शिकायत पर एफआईआर का आदेश हुआ तो मांग ली माफी

बेटे की छात्रवृति मिलने के बाद भी न मिलने की कर रहा था बार-बार शिकायत, फिर स्कूल प्राचार्य को लिखकर दिया माफीनामा

दमोह। नईदुनिया प्रतिनिधि

सीएम हेल्प लाइन में शिकायत करने का चलन काफी तेजी से बढ़ा है और जब तक शिकायतकर्ता अपनी संतुष्टि व्यक्त नहीं कर देता उसकी शिकायत लगतार आगे बढ़ती रहते हैं। इस प्रक्रिया में सरकारी अफसरों को उस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत की जाती है। ऐसा ही एक मामला जबेरा ब्लॉक के बम्होरी माला स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की छात्रवृति से जुड़ा सामने आया था, जिसमें छात्र के पिता ने सीएम हेल्प लाइन में शिकायत की थी कि उसके बेटे की छात्रवृति नहीं दी जा रही है, जबकि उसके खाते में छात्रवृति पहुंचाई जा चुकी थी। शिकायत के निराकरण को लेकर बार-बार दस्तावेजों की जांच की गई, लेकिन शिकायतकर्ता पिता कृष्णा अहिरवार अधिकारियों के जवाब से सहमत नहीं हो रहा था। जब विभागीय तौर पर उस प्रकरण की समीक्षा की गई तो शिकायत पूरी तरह फर्जी पाई गई। जिला शिक्षा अधिकारी आरएस बघेल ने संबंधित प्राचार्य ने उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया, जिसके द्वारा झूठी शिकायत कराई जा रही थी। जैसे ही एफआईआर का आदेश हुआ, शिकायतकर्ता ने लिखित में माफी मांग ली। जबेरा ब्लॉक के बम्होरी माला स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कृष्णा अहिरवार ने सीएम हेल्प लाइन क. 181 टोल फ्री नंबर पर शिकायत की थी कि उसके बेटे को छात्रवृति नहीं दी जा रही है। जबकि उसके खाते में समय पर छात्रवृति जमा कराई जा चुकी थी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री बघेल ने स्कूल प्राचार्य ललित कुमार रैकवार को आदेश जारी किया कि शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार सीएम हेल्प लाइन पर झूठी शिकायत की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसके बेटे दुर्योधन अहिवार को छात्रवृति नहीं मिल रही है, जबकि उसके बेटे को हर साल उसके बैंक खाते में छात्रवृति भेजी जा रही है। झूठी शिकायतों के कारण शासन की महत्वपूर्ण योजना सीएम हेल्प लाइन का दुरुपयोग किया गया है, जिससे सरकारी काम में व्यवधान पैदा हुआ है।

झूठी शिकायत पर है कार्रवाई का प्रावधान

जिला शिक्षा अधिकारी श्री बघेल ने बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बार-बार झूठी शिकायत की जा रही थी, जिससे उसकी शिकायत का निराकरण नहीं हो पा रहा था। प्रकरण की समीक्षा के बाद पता चला कि शिकायत पूरी तरह झूठी है और इसलिए झूठी शिकायत कर शासन की योजना का दुरूपयोग करने के आरोप के तहत उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए स्कूल प्राचार्य को आदेशित किया गया था, लेकिन जब एफआईआर की बात आई तो संबंधित शिकायकर्ता ने लिखित में पुलिस के समक्ष माफीनामा लिखा कि वह भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर नही कराई गई है। श्री बघेल का कहना है कि यदि कोई झूठी शिकायत कर्ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

राशि नहीं लौटाई, पुलिस ने गिरफ्तार कर फोरम के सामने किया पेश

भोपाल (नप्र)। फोरम द्वारा उपभोक्ता के पक्ष में दिए फैसले का ढाई साल बाद भी पालन नहीं होने के मामले में सोमवार को अवमानना के दोषी मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल्डर रूपेश विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर फोरम के सामने पेश किया। फोरम ने बिल्डर के पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था। अगली पेशी 25 जून को होगी। दरअसल फोरम ने बिल्डर के खिलाफ 13 जनवरी 2017 को फैसला सुनाया था। इसमें बिल्डर को दो माह के अंदर भूत बंगला निवासी कृष्णचंद्र शर्मा को 1 लाख 71 हजार रुपए और मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 14 हजार रुपए और वाद व्यय राशि 2 हजार रुपए देने के आदेश दिए थे। अगर दो माह बाद राशि नहीं लौटाई तो 14 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटानी थी। लेकिन बिल्डर ने ढाई साल बाद भी राशि नहीं लौटाई।

सरकारी नौकरियों में बढ़ेगी आयु सीमा, 35 साल तक हो सकती है

कैबिनेट में आएगा निवाड़ी में पद निर्माण का प्रस्ताव

भोपाल। नवदुनिया स्टेट ब्यूरो

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में लंबे समय से लंबित सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के लिए 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। इसे बढ़ाकर 35 वर्ष किया जा सकता है। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को आयु सीमा में छूट दी जाती है, जो जारी रहेगी। इसके साथ ही नवगठित जिले निवाड़ी में कोषालय और लोक सेवा प्रबंधन के पद निर्माण का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक राज्य लोक सेवा आयोग से होने वाली नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का पुनर्निधारण नहीं होने के कारण नियुक्तियां प्रभावित हो रही थीं। तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में मौके उपलब्ध कराने अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष की थी। राज्य लोक सेवा आयोग ने जब उच्च शिक्षा विभाग के लिए सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा की, तब आयु सीमा के प्रावधान को लेकर कुछ युवक हाई कोर्ट चले गए। जहां राज्य सरकार के इस प्रावधान के खिलाफ फैसला आया। उच्च शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर भी की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तब से ही आयु सीमा में संशोधन का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच झूल रहा था। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बार फिर प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा, लेकिन फाइल वहीं रखी रही। सूत्रों के मुताबिक आयु सीमा में संशोधन नहीं होने से प्रभावित हो रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को देखते हुए अब सरकार ने इस मामले में नीतिगत कदम उठाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में छिंदवाड़ा में सेंट्रल जेल के निर्माण की स्वीकृति और राजस्व परिपत्र पुस्तिका के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

बिजली, पानी पर चर्चा

बैठक में बिजली, पानी और कानून व्यवस्था पर फीडबैक लिया जाएगा। तय किया गया है कि पेंशन रोकने या अन्य कार्रवाईयों से जुड़े नियमित प्रकृति के मामले अब बैठक में नही रखे जाएंगे। कैबिनेट में सिर्फ ऐसे मामले रखे जाएंगे, जिन पर नीतिगत निर्णय लिया जाना है।